राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी परिशोधन प्रार्थना पत्र 1374/2012 हनुमानगढ

राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक,
.नोहर .....प्रार्थी

बनाम्

1. श्री गंगाधर पुत्र श्री डालूराम जाति कन्दोई निवासी नोहर
2. श्री मोहन लाल पुत्र श्री शिवनारायण जाति महाजन माहेश्वरी, निवासी नोहर हाल–गिरीश पार्क कोलकत्ता .....अप्रार्थी

एकलपीठ
राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

उपस्थित ::
श्री जमील जई
उप–राजकीय अधिवक्ता .....प्रार्थी की ओर से

श्री विजय स्वामी
अधिवक्ता, ...अप्राथीसंख्या. एक की ओर से

दिनांक : 16..12.2014

निर्णय

प्रस्तुत निगरानी पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम,1998 दिया गया है जो कि विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ के आदेश दिनांक 13.01.2010 के विरूद्ध है जो उन्होने प्रकरण संख्या 917/2009 अन्तर्गत धारा 51 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम,1998 में पारित किया था।

उपराजकीय अभिभषक श्री जमील जई एवं वकील अप्रार्थी संख्या एक श्री विजय स्वामी उपस्थित जिन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के मूल तथ्य इस प्रकार है कि बेचाननामा श्री मोहनलाल ने अप्रार्थी प्रार्थी संख्या एक श्री गंगाधर के पक्ष में निष्पादित किया। प्रश्नगत सम्पति वार्ड संख्या 25 स्टेशन रोड नोहर में है। उपरोक्त बेचाननामा को नियमानुसार पंजीयन करने के उपरान्त उप पंजीयक ने मौका निरीक्षण कर पाया कि प्रश्नगत सम्पति वाणिज्यिक प्रवृति की है और तदानुसार उप पंजीयक ने प्रकरण को कलक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ रेफरेन्श के जरिये प्रेषित किया। विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ ने रेफरेन्श को अपने आदेश दिनांक 28.12.2006से निर्णित किया और पाया कि प्रश्नगत सम्पति वाणिज्यिक

नहीं है। इस आदेश से व्यथित हो कर सरकार ने पुनरीक्षण राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसका निर्णय दिनांक 27.10.2009 को कर बोर्ड द्वारा किया गया एवं प्रकरण को विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ को प्रतिप्रेषित करते हुये दोनों पक्षों को सुनते हुये पुनः निर्णय देने के निर्देश दिये गये। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक का कहना है कि राजस्थान कर बोर्ड के प्रतिप्रेषित करने के बाद विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया और मात्र एक पार्टी को सुनते हुये प्रकरण को दिनांक 13.1.2010 को निर्णित किया। जिसमें उन्होने अपने पुराने आदेश दिनांक 28.12.2006 को सही माना। विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ के आदेश दिनांक 13.01.2010 से व्यथित होकर राज्य सरकार द्वारा पुनः पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक का कथन है कि जब राजस्थान कर बोर्ड के स्पष्ट निर्देश थे कि विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ दोनों पार्टियों को सुनेगें और इस के बाद ही अपना निर्णय सुनायेंगे, ऐसी स्थिति में दिनांक 13.01.2010 को मात्र एक पार्टी को सुन कर अपना आदेश देने में विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ ने राजस्थान कर बोर्ड के आदेशों की अवहेलना की है। अतः विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ के आदेश दिनांक 13.01.2010 को अपास्त किया जाए एवं दोनों सम्बन्धित पक्षकारों को सुन कर निर्णय देने के आदेश प्रसारित किये जाए।

वकील अप्रार्थी संख्या एक का कथन है कि यद्यपि विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ ने नोटिश देकर दोनों पक्षों को नहीं सुना है, फिरभी उन्होने मांग अनुसार समस्त राशि जमा करा दी है अतः पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए।

अपने रिज्योइण्डर आरग्यूमेन्ट में उपराजकीय अभिभाषक का कथन है कि जितनी राशि का उप पंजीयक ने रेफरेन्श किया है उतनी राशि जमा नहीं करायी गयी है अतः पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाय।

हमने राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 27.10.2009 का अवलोकन किया जिसके पैरा 06 में निम्न निर्देश दिये गये है–

"उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकार्ड का परिशीलन किया गया। अप्रार्थी संख्या01 विक्रेता को सुनवायी का अवसर दिया जाना रिकार्ड से प्रकट नहीं होता है, इस सम्बन्ध में जारी नोटिस साधारण डाक से भेजे गये हैं परन्तु नोटिस तामील होना प्रकट नहीं है। अतः तामील की श्रेणी में नहीं है, एवम् उक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम गीतरानी 1 आर आर टी (2002) पेज 81 में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में विधिसम्मत नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में प्रस्तुत प्रकरण में दोनों पक्षों (क्रेता व विक्रेता) को सुनना आवश्यक है। लिहाजा, अप्रार्थी संख्या 2 के अधिकृत प्रतिनिधि की आरम्भिक आपत्ति स्वीकार

करते हुये, विद्वान कलक्टर द्वारा पारित आदेश अभिखण्डित कर अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण 'कलक्टर' हनुमानगढ को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे इस सम्बन्ध में प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर, पुनः विधिसम्मत निर्णय लें।

निर्णय सुनाया गया।''

उक्त निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान कर बोर्ड ने दोनों पक्षों को सुन कर विधिसम्मत निर्णय लेने के निर्देश कलक्टर, हनुमानगढ को जारी किये थे। विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ के आदेश जो कि दिनांक 13.01.2010 की नोटशीट में अंकित है के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रतिनिधि श्री राजेश कन्दोई ही उपस्थित हुये थे। इस निर्णय में अप्रार्थी संख्या 1 के उपस्थित रहने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है जो कि राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 27.10.2009 के विपरीत है। अतः विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ के आदेश दिनांक 13.01.2010 को अपास्त कर प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह दिनांक 27.10.2009 के राजस्थान कर बोर्ड के आदेशों के अनुसरण में दोनों पक्षों को सुन कर निर्णय पर पहूंचे।

निर्णय सुनाया गया।

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष